

# सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ।

वित्त समिति की चतुर्दश (14वीं) बैठक दिनांक 15 फरवरी, 2020 का कार्यवृत्त

वित्त समिति की चतुर्दश (14वीं) बैठक दिनांक 15 फरवरी, 2020 को पूर्वान्ह 11.30 बजे कुलपति सभाकक्ष, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सम्पन्न हुई।

वित्त समिति की बैठक में उपस्थिति निम्नवत् थी :-

- |  |            |
|--|------------|
| 1. डा० आर० के० मित्तल, कुलपति,   | अध्यक्ष    |
| 2. डा० महेश कौशिक, कृषि वैज्ञानिक  | सदस्य      |
| 3. श्री अतुल कुमार सिंह, अपर निदेशक पेंशन एवं कोषागार,<br>मेरठ मण्डल, मेरठ (प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि)।       | सदस्य      |
| 4. डा० आर० के० गुप्ता, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,<br>मेरठ मण्डल, मेरठ (प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि)। | सदस्य      |
| 5. श्री चमन सिंह, भूमि संरक्षण अधिकारी,<br>जनपद—मेरठ।  | सदस्य      |
| (प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के प्रतिनिधि)  |            |
| 6. श्री अवध नारायण, वित्त नियन्त्रक  | सदस्य सचिव |

सर्वप्रथम माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष वित्त समिति द्वारा सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारम्भ करने की घोषणा की गयी।

२०.३.२०२०  
डा० आर० के० मित्तल 1  
मेरठ

4  
अवध नारायण  
वित्त नियन्त्रक  
स० द० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक  
विश्वविद्यालय, मेरठ-२५०११०

**प्रस्ताव संख्या 14.1:** वित्त समिति की त्रयोदश (13वीं) बैठक दिनांक 26 फरवरी, 2019 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

दिनांक 26 फरवरी, 2019 को सम्पन्न त्रयोदश (13वीं) बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

**प्रस्ताव संख्या 14.2:** वित्त समिति की त्रयोदश (13वीं) बैठक दिनांक 26 फरवरी, 2019 निर्णयों की अनुपालन आख्या।

वित्त समिति द्वारा त्रयोदश (13वीं) बैठक दिनांक 26 फरवरी, 2019 के निर्णयों की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

(कार्यवाई: वित्त नियन्त्रक)

**प्रस्ताव संख्या 14.3:** वित्तीय वर्ष 2018–19 के अन्तिम लेखे/बैलेन्स शीट का अनुमोदन।

वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के अन्तिम लेखे/बैलेन्स शीट मा० प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन हेतु संस्तुति की गयी।

(कार्यवाई: वित्त नियंत्रक)

**प्रस्ताव संख्या 14.4:** वित्तीय वर्ष 2019–2020 का पुनरीक्षित तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 का आय–व्ययक।

वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 का पुनरीक्षित तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 के अनुमानित आय–व्ययक पर मा० प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन हेतु निम्नवत संस्तुति की गयी।

2 अप्रैल 2019  
डा० आर० क० मिताल । 2 अवध नारायण  
कुलपति  
भूतप. कृषि एवं प्रौद्योगिक, भे० ८० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक  
विश्वविद्यालय, भे० २५०११०

## आय-व्ययक वित्तीय वर्ष 2020-21

(रु0 लाख में)

क्रम सं०	विभिन्न प्राप्तियां एवं व्यय	वास्तविक आंकड़े 2018-19	आय-व्ययक अनुमान 2019-20	पुनरीक्षित अनुमान 2019-20	आय-व्यय क अनुमान 2020-21
1	राजस्व प्राप्तियां	8028.24	20355.95	17171.35	21404.14
2	पूँजीगत प्राप्तियां	685.14	5902.26	1322.28	5259.49
3	योग (1+2)	8713.38	26258.21	18493.63	26663.63
4	राजस्व व्यय	7333.32	20186.00	17020.65	21342.29
5	पूँजीगत व्यय	685.14	5902.26	1322.28	5259.49
6	योग (4+5)	8018.46	26088.26	18342.93	26601.78

उपरोक्त के सम्बन्ध में मा० कुलपति जी/अध्यक्ष, प्रबन्ध परिषद द्वारा मा० सदस्यों को केन्द्रीय पुस्तकालय के परिचालन हेतु बजट की समस्या के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। जिसपर डा० महेश कौशिक, मा० सदस्य द्वारा विचार दिया गया कि केन्द्रीय पुस्तकालय के फर्नीचर इत्यादि पर होने वाले व्यय की व्यवस्था के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थानीय मा० विधायकगणों से उनकी विधायक निधि से बजट की मांग की जा सकती है।

(कार्वाई: वित्त नियंत्रक/कुलसचिव)

  
 अवधि नारायण  
 वित्त नियंत्रक  
 डा० द० प० कृष्ण एवं तेलोपीक  
 रस० द० प० विश्वविद्यालय/मेरठ-260110  
  
**2020-21**  
 डा० आर० क० मितल  
 कुलउत्तै  
 अव० कृष्ण एवं प्राविदि, मेरठ

प्रस्ताव संख्या 14.5: कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में वैज्ञानिकों/शिक्षकों को उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 652/सत्तर-2-2019-16 (109)/2016 दिनांक 05.09.2019 के अन्तर्गत मकान भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों/शिक्षकों को उ0प्र0 शासन के संशोधित शासनादेश संख्या-4/2017/सत्तर-2-2016-16 (109)/2016 दिनांक 04.05.2017 के अन्तर्गत मकान किराया भत्ता प्रदान किया जा रहा है। जिसपर उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 652/सत्तर-2-2019-16 (109)/2016 दिनांक 05.09.2019 के अन्तर्गत दिये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय में कार्यरत वैज्ञानिकों/शिक्षकों द्वारा संयुक्त रूप की जा रही मांग के सम्बन्ध में वित्त समिति के सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत वैज्ञानिकों/शिक्षकों को उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 652/सत्तर-2-2019-16 (109)/2016 दिनांक 05.09.2019 के अन्तर्गत मकान किराया भत्ता दिये जाने के लिए मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा निर्णय लेने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

(कार्रवाई: वित्त नियन्त्रक/कुलसचिव कार्मिक)

प्रस्ताव संख्या-14.6 : अन्य बिन्दुः—  
मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्तावः—

1. डा0 महेश कौशिक, मा0 सदस्य द्वारा सुझाव दिया गया कि वित्त समिति एवं मा0 प्रबन्ध परिषद की बैठके विश्वविद्यालय के बाह्य शोध केन्द्रों पर भी आयोजित किये जाने के प्रयास किये जाये, जिससे कि शोध केन्द्रों की कार्यप्रणाली एवं समस्याओं से सदस्यगण अवगत हो सके।

अध्यक्ष नायण  
दित निकामा कार्रवाई वित्त नियन्त्रक  
मा0 अध्यक्ष महोदय विश्वविद्यालय  
कुलसचिव  
मेरठ, यूनिएड प्रॉविन्चिया, मेरठ

2. डा० महेश कौशिक एवं श्री चमन सिंह, भूमि संरक्षण अधिकारी, जनपद—मेरठ द्वारा सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय के शोध केन्द्रों/फार्मों की आय बढ़ाने हेतु वार्षिक आय का लक्ष्य निर्धारित किया जाये। साथ ही विश्वविद्यालय के विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय—समय पर शोध केन्द्रों का स्थलीय निरीक्षण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त डा० महेश कौशिक, मा० सदस्य द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय के उपर्युक्त शोध केन्द्रों/फार्मों का आय—व्ययक का अनुश्रवण प्रत्येक 3—3 माह के अंतराल पर किया जाना चाहिए।

(कार्यवाई: निदेशक शोध/वित्त नियन्त्रक)

3. डा० महेश कौशिक, मा० सदस्य द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय की दांतल फार्म पर जनपद प्रशासन की मदद से उक्त फार्म की पैमार्झिश कराते हुए सुरक्षा की दृष्टि से बाउंड्रीवाल करायी जाये तथा उपर्युक्त फार्म की जमीन पर खेती करने के भी प्रयास किये जाये।

(कार्यवाई: निदेशक शोध)

४

(अवध नारायण)

वित्त नियन्त्रक/सचिव, वित्त समिति

अवध नारायण

वित्त नियन्त्रक

स० द० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक  
विश्वविद्यालय, मेरठ-२५०११०

अनुमोदित

२००३-०५-२०२१.  
१४.०२.२०२०

(डा० आर० के० मित्तल)

कुलपति/अध्यक्ष डा० आर० के० मित्तल  
कुलपति  
स.व.प. कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ